राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsfsrg@gmail.com

क्रमांक :– सर./कृषि/36/2023–24 दिनांक :– 20.04.2024

fufonk lpuk

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला–श्रीगंगानगर (राज.) में रबी–2023–24 मे उत्पादित फसल सरसो, तोरिया, गेहूँ, जौ, जई, चना, पालक, मूली आदि की कटाई, गहाई एवं सिल्ला चुगाई एव तूडी बनाने के पश्चात् खाली हुए चकों / खेतों में भेड, पशु आदि चराने के लिए निविदाए दर रूपये प्रति एकड के हिसाब से आमंत्रित की जाती है जिसके तहत कुल क्षेत्र, खण्ड IV मे जो कि 1743.6 एकड व खण्ड V मे 2868.5 एकड हेतु मोहरबंद निविदाएं दिनाँक 06.05.2024 को सांय 3.00 बजे तक खंडवार आमंत्रित की जाती है इच्छुक ठेकेदार/पार्टी, उपरोक्त टेण्डर मे भाग लेने के लिए धरोहर राशि रूपये 100000/– (रूपये एक लाख मात्र) खण्ड IV व V के लिए अलग–अलग डिमांड ड्राफ्ट जो कि **नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ** के नाम से सूरतगढ में देय हो को फार्म खजांची के पास या टेण्डर के साथ जमा कराकर टेण्डर मे भाग ले सकते है जो कि उसी दिन कमेटी द्वारा सांय 3.30 बजे निविदादाताओ के समक्ष निविदा खोली जायेगी । धरोहर राशि चराई का कार्य संतोषजनक संपन्न होने पर वापिस की जायेगी व असफल निविदादाता को धरोहर राशि नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा ।

टेण्डर सम्बन्धी नियम व शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस मे 10.00 बजे से 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, उपरोक्त टेण्डर में भाग लेने के लिए टेण्डर फार्म रू.236/–(18% GST सहित)नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है । इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेवसाइड www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। यदि निविदा वेबसाइड से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु 236/– का ड्राफ्ट देना होगा निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ आधार कार्ड की फोटोप्रति/बेक पास बुक की प्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशनकार्ड, आधार कार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी

नोटः– fnuk¡d 06-05-2024 dks nksigj 2-00 cts dk ckn dksbZ Hkh V.Mj QkeZ ugh fn;k tk;xk A

lkHkkjh ¼mRiknu½
Ñr% funs'kd

jk"Vªh; cht fuxe fyfeVsM

(भारत सरकार का उपक्रम)

<u>केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)</u>

क्रमांकः – सर./कृषि/36/2024–.25/– दिनांकः –

<u>i'kvk dh pjkbZ ds fu;e o 'krsZ</u>

1- ठेका लेने वाले को प्रत्येक खण्ड के लिए धरोहर राशि रूपये 100000/– (रूपये एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, प्रति खंड के अनुसार जमा करवाना होगा जो कि ''**नेशनल सीड्स कॉरपरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़**'' के नाम से सूरतगढ में देय हो व असफल बोलीदाता को धरोहर राशि चैक द्वारा सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के पश्चात वापिस कर दी जायेगी एवं सफल बोलीदाता की धरोहर राशि चराई का कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने के बाद लौटा दी जायेगी एवं जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2- सफल बोलीदाता को बोली समाप्त होने पर बोली की 25% राशि जमा करवानी होगी, शेष 75% राशि 07 दिनों के अन्दर जमा कराने होगें। यदि इस अवधि में शेष राशि जमा नहीं हुई तो इसके अतरिक्त केवल 07 दिन तक ही 18% वार्षिक दर से ब्याज लिया जायेगा तत्पश्चात भी शेष राशि जमा नहीं होती है तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर निगम की काली सूची में नाम डाल दिया जायेगा।

3- चराई की अवधि 15 मई, 2024 से 15 जून, 2024 तक ही होगी। यदि किसी चक या क्षेत्र में कटाई/थ्रेसिंग/सिला चुगाई/तूड़ी बनाने का कार्य देरी से होता है तो उसका समय नियमानुसार बढ़ाया जायेगा।

4- चराई का समय सुबह 6.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक का होगा।

5- सिल्ला चुगाई करने के बाद ही पशु चराने हेतु एरिया दिया जायेगा। यदि बिना चुगाई (सिल्ला चुगाई) किए फार्म क्षेत्र में पशु पाये गये तो धरोहर राशि में से नुकसान की भरपाई की जायेगी।

6- पशु चराने के लिए पशुओं के साथ आने वाले व्यक्ति फार्म के किसी कर्मचारी, मजदूर के साथ दुर्व्यवहार या झगड़ा नहीं करेगा व फार्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बल्लम, भाला बन्दूक व पिस्तौल आदि की अनूमति नहीं होगी।

7- पशुओं व पशु चराने वालों द्वारा खालों, नहर के पानी को क्षति नहीं पहुचायेगे। ऐसा होने पर ठेका रदद् किया जा सकता है और धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

8- ठेकेदार को पशु चराने वालों के नाम व पते फार्म में जमा करवाने होंगे।

9- ठेकेदार के पशुओं अथवा चरवाहों द्वारा फार्म में किसी प्रकार की बिजाई एवं अन्य चल अथवा अचल सम्पति को कोई नुकसान पहुचाने पर उसके हर्जाने की ठेकेदार से भरपाई की जावेगी।

10- ठेकेदार प्रत्येक खण्ड में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पशुओं द्वारा कराई गयी जबरन या चोरी से चराई को रोकने का स्वयं जिम्मेवार होगा, इसके लिये फार्म की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी एवं किसी विवाद के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।

11- चराई के लिए कृषि अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें क्षेत्र, चक नं. व समय अवधि का विवरण होगा।

12- फार्म के किसी अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, चक प्रभारी व कर्मचारी के मांगने पर चराई करने वाले को आदेश दिखाना होगा। बिना आदेश के पशु चराई करते समय चराई को अवैध माना जायेगा, जिसके लिए उसके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जायेगी।

13- जिस प्रक्षेत्र में जुताई व बुवाई की जरूरत होगी उस खेत की चराई की पर्ची रदद् कर दी जावेगी।

14- चराई बिना कारण बताऐ निदेशक फार्म द्वारा रद की जा सकती है। चराई का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायगा जिसका आचरण सही हो व निगम की काली सूची में न हो । काली सुची वाले व्यक्ति से सम्बन्धित को भी ठेका नहीं दिया जायेगा जहॉ उसका नाम परिवारिक तौर पर जैसे कि पत्नी या बेटा आदि ।

15- यदि चराई पर दिये प्रक्षेत्र में नाली का पानी आ जाता है या फसल की बुवाई व जुताई के लिए उसमें फार्म द्वारा पानी भरवा दिया जाता है या आग लगा दी जाती है तो उसके बदले में न तो दूसरा क्षेत्र चराई के लिए दिया जायेगा और न ही कोई भुगतान देय होगा तथा इस पर परमिट धारक को कोई एतराज नहीं होगा।

16- गेहूँ, जौ, जई की फसल कटने उपरान्त, तूड़ी / भूसा बनाने /उठाने के बाद ही पशु चराने की अनुमति दी जायेगी।

17- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मामला केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ के निदेशक महोदय को प्रस्तुत किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। न्यायालय क्षेत्र सूरतगढ़ रहेगा।

18- इस ठेके में यदि कोई टैक्स लगता है तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से PAN No. आवश्यकतानुसार देय होगा।

19- ठेकेदार को रूपये 500/– का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

प्रभारी(उत्पादन)
कृते निदेशक

fufonknkrk dk gLrk{kj

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnzh; jkT; Qke] ljnkjx<+ ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

क्रमांकः – सर./कृषि/36/2023–24 दिनांकः –

V.Mj Qke

jch 2023&24 dh Qlyk dh dVkbZ@flyk pqxkbZ djus ds i'pkr rFkk [kjhQ 2024@ tk;n 2024 esa cqokbZ dk {ks= j[kus ds ckn i'kqvksa dks pjkus ckcr

[k.M u-	i'kq pjkbZ ds fy;s fn;s tkus okyk {ks= ,dM+ esa		nj izfr ,dM+ ¼:i;s esa½
[k.M&04	चना व अन्य (सरसों, गेहूँ, जौ, जई, आदि)	**1743.6**	
[k.M&05	चना व अन्य (सरसों, गेहूँ, जौ, जई आदि)	**2868.5**	
	dqy &	**4612.1**	

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नामः – ....

पिता का नामः – ....

गांव व पोस्टः – ....

जिलाः – ....

मो.न.– ....

पैन न0..